मिलावट की आशंका पर दो जगहों पर 3490 किलो घी सीज किया

कोटा, (निसं)। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्त इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश सोनी के मार्गदर्शन में मिलावट के खिलाफ अभियान के अंतर्गत सोमवार को दीगोद में खाद्य सुरक्षा टीम को मिलावटी घी बेचने की सूचना मिली। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल द्वारा मय टीम दीगोद कोटा में मैसर्स प्रियंका ट्रेडर्स पर पर कार्रवाई की। वहां घी (सरस) के 1 किग्रा व आधे किग्रा के पैक दो नमूने जांच के लिए एफएसएसएआई एक्ट के तहत संग्रहित किए गए तथा 1 लीटर के 8 डिब्बे व आधा लीटर के 5 डिब्बे कुल 10 किलो घी मिलावट की आशंका पर सीज किए तथा लिए गए नमूनों को जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जयपुर में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम के द्वारा कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश सोनी ने बताया कि सरस के नकली घी होने के संदेह पर सरस के एमडी देवकीनन्दन स्वामी व मार्केटिंग हेड सरस दिनेश गुप्ता मौके पर उपस्थित हुए उन्हें एक लीटर व आधा लीटर का एक एक डब्बा लेबल की जांच कर नकली पाए जाने पर कापीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सुपर्द किए। सरस के मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इनके लेबल की जाँच करके कॉपीराइट एक्ट में एफ़आईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ दीगोद में ही खण्डेलवाल जलपान ग्रह शिकायत पर यूज्ड ऑयल व बेसन के दो नमूने एफ़एसएसए एक्ट के अंतर्गत दो नमूने लिए।

मुखबिर की सूचना पर टीम कोटा रामपुरा आर्य समाज रोड स्थित माधव डिपो पर पहुंची। यहां एक किलो पैकिंग घी के 121 कार्टन (प्रत्येक में 15 किलो), आधा किलो घी पैकिंग के 70 कार्टून (प्रत्येक में 15 किलो) व 15 किलो की पैंकिंग के 41 टिन में घी (एस के सरस गोल्ड) का कुल 3480 किलो घी विक्रय के लिए रखा मिला। यहां से मिलावट की आशंका पर अलग अलग पैंकिग के तीन नमूने लेकर सभी माल सीज किया गया। विक्रेता ने मौके पर यह माल मै. एसके ऑयल जोधपुर से खरीदना बताया। कार्रवाई करने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादोन, नितेश गौतम शामिल रहे।

विजयवर्गीय चम्बल रत्न से सम्मानित

कोटा, (निसं)। समर्पण बहुद्देशीय विकास समिति के स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में चम्बल संसद के समन्वयक पर्यावरणविद् बृजेश विजयवर्गीय को शहर के गणमान्य लोगों के साथ चम्बल रत्न से सम्मानित किया गया। समिति संरक्षक सुमन श्रृंगी ने मां सरस्वती को माल्यार्पण कर सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व महापौर सुमन श्रृंगी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा की किसी संस्था को इतने वर्ष सफलता पूर्वक चलाना सदस्यों की मेहनत और सहयोग से संभव हैं। संस्थापक अध्यक्ष आर.एस.कसेरा में सभी का स्वागत कर समिति का परिचय और उद्देश्यों की जानकारी दी। सचिव जगदीश शर्मा ने समिति द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संयोजक यज्ञदत्त हाड़ा ने भावी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया की प्रति माह एक गतिविधि आयोजित की जाएगी। संरक्षक और अध्यक्ष ने डॉ.आरुषि जैन, डॉ.प्रभात कुमार सिंघल, डॉ.एम एल अग्रवाल, पूर्व महापौर शिक्षाविद महेश विजय, डॉ. आर पी मीणा, कुलदीप माथुर, नशा मुक्ति के प्रेरक डॉक्टर आरसी सहनी को सम्मानित किया।

सामूहिक अहिंसा पदयात्रा 20 को एवं भव्य शोभायात्रा 21 अप्रेल को

कोटा, (निसं)। भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जैन समाज द्वारा दो दिवसीय आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत 20 अप्रैल को सकल जैन समाज द्वारा अहिंसा पदयात्रा घटोत्कच चौराहा से दानबाड़ी व 21 को भव्य शोभायात्रा का सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा तलवंडी जैन मंदिर से दशहरा मैदान तक आयोजित की जाएगी। सकल जैन जैन समाज के मुख्य संयोजक जे.के.जैन व संयोजिका रेखा हिंगड़ ने बताया कि 20 अप्रैल को आयोजित सकल दिगम्बर जैन समाज की पदयात्रा में समस्त जैन समाज के लोग शामिल होकर एकता का परिचय देंगे और महावीर के संदेशो का घरकृघर पहुंचाने का आव्हान करेंगे।

तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में दिगम्बर व श्वेताम्बर जैन समाज कोटा महानगर में अहिंसा पदयात्रा का आयोजन सुबह 7 बजे घटोत्कच्छ चौराहा से दानबाड़ी तक किया जाएगा। पदयात्रा संयोजक विजय दुगेरिया ने बताया कि अंहिसा पदयात्रा घटोत्कच्छ से प्रारंभ होकर, महावीर नगर तृतीय चौराहा, महावीर नगर द्वितीय, तलवंडी सर्किल, जवाहर नगर होती हुई भगवान महावीर के जयकारों के साथ दानबाड़ी पहुंचेगी जहां वह सभा में परिवर्तित होगी। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका निशा जैन वेद ने बताया कि 20 अप्रैल सांय 08 महिला मण्डल द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर 21 अप्रैल को महावीर दिगंबर जैन मंदिर तलवंडी से भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा।

■ 'भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में सकल दिगम्बर जैन समाज जुटेगा'

समिति अध्यक्ष अशोक पहाड़िया व मंत्री प्रकाश सामरिया ने बताया शोभायात्रा की तैयारियों के लिए समितियों का गठन किया जा रहा है। जैन परिवारों के घरों पर जैन ध्वज भेंट किए जा रहे हैं। सकल दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष विमल जैन नान्ता व महामंत्री विनोद टोरड़ी ने बताया कि समाज द्वारा शोभायात्रा को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शोभायात्रा तलवंडी जैन मंदिर से दशहरा मैदान तक निकाली जाएगी। शोभायात्रा में चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागरमहाराज के शिष्य परम आदित्य सागर महाराज ससंघ व गणिनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता ससंघ भी शामिल होगी। शोभायात्रा के संयोजक रितेश सेठी व प्रकाश बज ने बताया कि शोभायात्रा प्रात 7.00 बजे श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर तलवंडी से प्रारंभ की जाएगी।शोभायात्रा में लगभग हजारो की संख्या में लोग शामिल होंगे।

श्री जी की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण के साथ सुसज्जित कर रथ में रवाना किया जाएगा, जिनके पीछे जैन समाज के लोग महावीर के जयकारों के साथ आगे बढ़ेगे। शोभायात्रा में सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, कुबेर, सारथी व चवर डुलाने वालें रथ में सवार होकर चलेंगे। महिला केसरिया रंग की साड़ी व पुरुष सफेद कुर्ते पजामे में शामिल होंगे। शोभायात्रा में श्वेत अश्व, ऊंट गाड़ी, 24 बग्गियां, महावीर के संदेश की सजीव झांकियां शामिल होगी।

सार-समाचार

जन्मोत्सव के उपलक्ष में विभिन्न कार्य

कोटा (निसं)। दादाबाड़ी स्थित निजधाम आश्रम में सतगुरु स्वामी तिलोकदास महाराज उदासीन जय बाबाजी का 119वें अवतरण दिवस पर विभिन्न आयोजन हुए। निजधाम आश्रम के कल्पित रोहिड़ा ने सूचना देते हुए बताया कि जयबाबा के अवतरण समय प्रात: 5.02 पर समस्त प्रेमीजन द्वारा महाअभिषेक किया गया, साथ ही सत्संग कीर्तन हुआ, जिसमें जयबाबा भजन मण्डली ने भजनों के माध्यम से समां बांधा। जन्मोत्सव पर सेवा कार्य भी किये जिसमें गौमाता को चारा खिलाया एवं बेजुबानों की सेवा की गई। शाम को स्थानीय कलाकार श्याम सलोना ने बाबा श्याम के मनमोहक भजनों से मंत्रमुग्ध किया। समस्त प्रेमीजनों ने चंग धमाल पर झूमते-नाचते हुए बाबा श्याम एवं सतगुरु जयबाबा को रिझाया और खूब तालियां बजाई। अंत में बाबा श्याम व सतगुरु जयबाबा की आरती के साथ कार्य्रकम सम्पन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर मुरलीधर जैसवानी ने सभी को जयबाबा जन्मोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित की।

920 पानी की बोतल जब्त

कोटा, (निसं)। डीआरएम मनीष तिवारी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय के नेतृत्व में ट्रेनों में नियमित विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है साथ ही अवैध वेंडर्स पर कार्यवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 15 अप्रैल को कोटा के मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर कुमार पटेल ने गाड़ी संख्या 19037/19038 अप/डाउन अवध एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 20941 बांद्रा टर्मिनल-गाजीपुर एक्सप्रेस में कुल 920 अनअप्रूव पानी की बोतल को जब्त किया। ये अनअप्रूव पानी की बोतले कोटा, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी स्टेशनों पर उतरा गया। साथ ही उक्त गाड़ी में डीसीएम किशोर पटेल ने 3 अवैध वेंडर पकड़े।

नेत्रदान संपन्न

कोटा, (निसं)। बजरंग नगर निवासी रामनारायण जयसवाल का निधन ब्रेन स्ट्रोक से हो गया। वहां पर उपस्थित जैन सोशल ग्रुप चंबल सिटी के सचिव मनोज जैन ने परिवार के विनोद जायसवाल एवं पूनम जायसवाल नेत्रदान करवाने की बात रखी। परिवार दोनों दंपति कॉलेज के व्याख्याता थे उन्होंने तुरंत नेत्रदान की सहमति दे दी।

नहरे आने पर मण्डाना की बंजर भूमि सोना उगलेगी : राजावत

कोटा, (निसं)। पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत ने खुली घोषणा की हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद चम्बल की नहरें मण्डाना की धरती पर लाई जाएगी और बरसों से बंजर पड़ी जमीन उपजाऊ होकर सोना उगलेगी।

आज पूर्व विधायक राजावत ने कसार के समीप झीत्या रामनगर मे बीजासन माता की मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम मे हजारों लोगों के बीच घोषणा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ लेकिन 2014 मे 10 वर्षों के मोदी के शासन मे लोगों को असली आजादी मिली हैं 50 साल के कांग्रेस राज मे लाखों लोग भूख से तड़पते हुए मर गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं।

आजादी के बाद कांग्रेस राज मे करोड़ों रूपए खर्च करके टैंकर से लोगों को पानी पिलाया और मैंने अपने कार्यकाल मे 135 करोड़ की पेयजल योजना मंजूर करवाकर चम्बल का पानी मण्डाना के 80 गांवों मे लोगों तक पहुंचाया लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेसराज मे अनदेखी हुई और लोगों को कही आधा कही एक घण्टा पानी मिल पा रहा हैं लेकिन अब मैं दावा करता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद 3 घण्टे सुबह और 3 घण्टे शाम को लोगों को पेयजल उपलब्ध होता रहेगा।

मण्डाना मे चम्बल की नहरों के लिए अपने कार्यकाल मे योजना का प्रारूप तैयार करके करोड़ों रूपए का इस्टीमेट भी बनवा लिया था लेकिन अब लोकसभा के बाद दबाव डालकर राज्य सरकार से इसे स्वीकृत करवाएंगे। नहरें आना तो बड़ी बात हैं लेकिन पूरे क्षेत्र मे लिफ्ट इरीगेशन से चम्बल का पानी लाकर इस सूखी धरती को सिंचित किया जाएगा। राजावत ने कार्यक्रम के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव मे कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला को अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों से विजय बनाने का संकल्प दिलवाया।

सभा को पंचायत समिति डायरेक्टर कुलदीप नागर, ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रेमराज बंजारा और शैलेन्द्र नागर सहित अनेकों लोगों ने सम्बोधित किया।

शत-प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन विभाग का एक और नवाचार

कोटा, (निसं)। लोकसभा आम चुनाव 2024 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने एक और नवाचार किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि हैप्पी आवर्स यानि सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स को निर्वाचन विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों पर सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान करने वाले प्रथम 40 'फर्स्ट टाइम वोटर्स' को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही राज्य के अन्य मतदान केन्द्रों पर सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान करने वाले शुरूआती 20 फर्स्ट टाइम वोटर्स को हर मतदान केन्द्र पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रदेश में 18-19 आयु वर्ग के 16 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही, मतदान के लिए डिजिटल माध्यम से शपथ दिलाई जाकर, सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर सेल्फी पाइंट लगाए जाएंगे। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेस्ट सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। नवविवाहित वर-वधू द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। संयुक्त परिवार की तीन पीढ़ियों, दादा-दादी, बेटा-बेटी और पोता-पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने नव मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। स्वयं भी मतदान करें।

■ सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रमाण पत्र दिया जाएगा

वरिष्ठजनों ने घर से मतदान किया

कोटा, (निसं)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत 85 वर्ष एवं अधिक वर्ष के वरिष्ठजनों एवं पात्र विशेष योग्यजनों के लिए घर से मतदान करने (होम वोटिंग) की सुविधा के तहत सोमवार को भी उक्त श्रेणियों के मतदाताओं ने घर पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान दलों ने पात्र मतदाताओं के घर पहुंचकर विधिवत मतदान प्रक्रिया करवाई।

कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र के कोटा उत्तर विधानसभा में डडवाडा रंगपुर रोड निवासी 85 वर्ष के जयंत सिंह ने निर्वाचन आयोग की इस विशेष सुविधा के अन्तर्गत अपने घर पर ही मतदान किया। उन्होंने निर्वाचन विभाग की होम वोटिंग की सुविधा से डाक मतपत्र पेटी में अपना मत डाला।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-852 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-15.4.24

नगर विकास न्यास कोटा की योजना श्रीनाथपुरम-बी के भूखंड संख्या 373 श्री रामरतन पुत्र रामनारायण को आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 6.10.95 के द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री उम्मेदमल जैन पुत्र हरिराम जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.3.24 को श्री रतनलाल जैन पुत्र बद्रीलाल जैन को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 373 योजना श्रीनाथपुरम-बी का नाम हस्तान्तरण श्री रतनलाल जैन पुत्र बद्रीलाल जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 128 जाहिर आम सूचना दिनांक - 12.4.24

श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा द्वारा विशिष्ठ पंजीकरण योजना 2006 के अन्तर्गत चालान संख्या 006/2006 के द्वारा 30,000/-रु. जमा करवाकर उच्च आय वर्ग में कोटा शहर हेतु पंजीकरण करवाया गया। मंडल द्वारा आवेदक की वरियता 01/जी-3/एच.पी.एस./2006 निर्धारित की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामनिवास शर्मा की मृत्यु दिनांक 09.06.2018 को हो चुकी है तथा इनके पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 24.04.2023 को हो चुकी है। मृतक स्व. श्री रामनिवास शर्मा के वारिसानों में श्री अरविंद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनिवास शर्मा एवं श्रीमती दीप्ति शर्मा पत्नी स्व. श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा उक्त पंजीकरण में निहित अपने हिस्से का त्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर किया गया। श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनिवास शर्मा द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन स्वयं के नाम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनिवास शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनिवास शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व. श्री रामनिवास शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

प्रारुप C-1

आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में घोषणा

(2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और ऑर्स बनाम भारत संघ एवं एएनआर)

अभ्यर्थी का नाम और पता : रवि राज सिंह
राजनैतिक दल का नाम : निर्दलीय
निर्वाचन का नाम : लोकसभा
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : झालावाड़ - बारां

मैं रवि राज सिंह (अभ्यर्थी का नाम) उपर्युक्त निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी, सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ/करती हूँ।

(A) लंबित आपराधिक प्रकरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या एवं तारीख	प्रकरण की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (ओं) और अपराध (अपराधों का संक्षिप्त विवरण)
1.	डी जे कोर्ट झालावाड़	61/2021	माननीय न्यायालय में चार्ज बहस की स्टेज पर चल रहा है।	384, पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भराते समय सेल्समेन द्वारा व्यवहार के कारण झगड़ा हुआ जिसमें पम्प के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज करायी।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मुकुट बिहारी कुशवाह पुत्र बाबूलाल कुशवाह निवासी पटेलो की गली, द्वारकाधीश मंदिर के पास वार्ड नं. 10 बोरखेड़ा कोटा की पुत्री अंजली कुशवाह ने बिना परिवार की सहमति से अपनी इच्छा से अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिससे मेरे पक्षकार की मान मर्यादा समाज में धूमिल हो गई है। इसलिए आज से मेरा पक्षकार अपनी पुत्री से अपने सारे संबंध समाप्त करता है तथा अपनी स्वअर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति से उसे बेदखल करता है तथा आज के बाद मेरे पक्षकार का अपनी पुत्री से कोई संबंध नहीं रहेगा तथा मेरे पक्षकार के नाम से अगर कोई व्यक्ति मेरे पक्षकार की पुत्री अंजली कुशवाह से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार या कोई लेन देन करता है तो उसका जिम्मेदार उक्त व्यक्ति स्वयं होगा जिसमें मेरे पक्षकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित हो।

भवदीय
अनिल झांझोट एडवोकेट
मो. 9982600099

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम अयान मोहम्मद एजाज से बदलकर नया नाम अयान एजाज रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-अयान एजाज पुत्र मोहम्मद एजाज चम्बल गार्डन रोड 101 शक्ति नगर कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम जाफरअली से बदलकर नया नाम जाफर अली चेचटवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-जाफर अली चेचटवाला पुत्र युसुफ अली दारुल इमारत बोहरा मोहल्ला बून्दी

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम अली असगर (ALI ASGAR) से बदलकर नया नाम अली असगर मुर्तजा (ALI ASGHAR MURTAZA) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-अली असगर मुर्तजा पुत्र मुर्तजा हुसैन फखरी मेंशन नियर गढ़ पैलेस टिपटा कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम HARJIT SINGH से बदलकर नया नाम HARJEET SINGH रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-हरजीत सिंह पुत्र मेवा सिंह पाटनरोड गांव देलुण्डा माना के झोपड़े बून्दी

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम JAHEERUDDIN से बदलकर नया नाम JEHARUDDIN रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-JEHARUDDIN S/o NIJAMUDDIN फुटबाल का मैदान संजय नगर बाड़ी भीमपुरा कैथून कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 9/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रामेश्वर मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तह. लाडपुरा जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्रन्यास "मन्दिर श्री बालाजी" विराजमान ग्राम बालापुरा तह. लाडपुरा जिला कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 14.05.2024 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.12.2022 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. श्री गिरराज गौंड, 2. श्रीमती राम मूर्ती को दिया गया था, जिसमें 23.12.2022 को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रुपये 5,81,021.89/- (रुपये पांच लाख इक्यासी हजार इक्कीस औरपैसा सतासी मात्र) का भुगतान नोटिस प्राप्ती की तिथी से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज अप्रेल 2024 के 9वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन रुपये 5,81,021.89/- (रुपये पांच लाख इक्यासी हजार इक्कीस औरपैसा सतासी मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

पट्टा नं.01, खसरा नं.303, ग्राम नानावटा, पंचायत समिति अटरू, बारां, राजस्थान-325219 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 35x45=1575 वर्गगज, और सीमायें है- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-रामदयाल लुहार का मकान, उत्तर-कल्याण सिंह राजपूत का मकान, दक्षिण-पन्ना लाल लुहार का मकान

दिनांक-09 अप्रेल 2024
स्थान-बारां
ऋण खाता संख्या- 49784116

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वग्रीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

| क्रम संख्या | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम | सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि | सैक्शन 13(2) नोटि